UPAL010131062025

न्यायालय- सत्र न्यायाधीश, जिला अलीगढ़।

पीठासीन अधिकारी- श्री पंकज कुमार अग्रवाल, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
{JO CODE-UP1897}

दाण्डिक निगरानी संख्या- 498/2025

विजय पाल सिंह पुत्र महिपाल सिंह, निवासी- ग्राम मऊपुर, थाना- पालीमुकीमपुर, जिला अलीगढ़।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1-उत्तर प्रदेश राज्य (द्वारा डी.जी.सी. क्रिमिनल),

2- मनोज कुमार पुत्र अजब सिंह, निवासी- ग्राम औधाखेड़ा, थाना दादों जिला-अलीगढ़।

.....विपक्षीगण

निर्णय

1) प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी अन्तर्गत धारा- 438 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या- 02, अलीगढ़ द्वारा केस संख्या- 614/2023, सरकार बनाम विजय पाल आदि में पारित आदेश दिनांकित 27.08.2024 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है। आलोच्य आदेश में अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसके माध्यम से वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या- UP81CT 1983 मैक्स पिकप के रजिस्ट्रेशन को अनलॉक करने की याचना की गयी थी, निरस्त कर दिया गया है।

2) संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र कागज संख्या 10 ख/8 इस आशय से प्रस्तुत किया गया था कि वाहन मैक्स पिकप संख्या UP81CT 1983 का पंजीकृत स्वामी है तथा उपरोक्त वाहन प्रार्थी ने महिन्द्रा फाइनेन्स, जी.टी. रोड, अलीगढ़ से फाइनेंस करा के क्रय किया था। प्रार्थी ने अपनी गाड़ी मैक्स पिकप को परमदुग्ध

उत्पादक डेरी में चालक मनोज कुमार को रखकर भाड़े पर लगा दिया था तथा उसकी आमदनी से उसकी लगातार किस्त भरता रहा और दिनांक 06.09.2018 को महिन्द्रा फाइनेन्स का ऋण चुका कर एग्रीमेन्ट निरस्त करा दिया तथा प्रार्थी आर.सी. को लेकर आर.टी.ओ. कार्यालय गया तो वंहा के अधिकारियों ने बताया कि उक्त आर.सी. को मुकदमा अपराध संख्या- 94/2023, अन्तर्गत धारा- 406, 420, 120 बी भा0 दं0 सं0, सरकार बनाम विजयपाल, थाना-हरदुआगंज, जिला-अलीगढ़ के विवेचनाधिकारी ने दौरान विवेचना लॉक करा दिया था क्योंकि चालक मनोज कुमार ने उक्त झूठा मुकदमा प्रार्थी के खिलाफ दर्ज करा दिया था उक्त मुकदमे में प्रार्थी जमानत पर है। प्रार्थी उपरोक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है तथा उक्त वाहन प्रार्थी के पास है और घर पर खड़ा है लेकिन आर.सी. लॉक की वजह से चल नहीं पा रहा है जिससे उक्त गाड़ी के टायर व बॉडी खराब हो रही है तथा प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थी के वाहन मैक्स पिकप संख्या- UP81CT 1983 की आर.सी. को आर.टी.ओ. द्वारा की गयी लॉक को अनलॉक कराने के आदेश पारित करने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी विजयपाल द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3) उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर अवर न्यायालय द्वारा थाने से आख्या आहूत की गयी थाने से प्राप्त आख्या दिनांकित 23.08.2024 में यह उल्लिखित किया गया है कि, "थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 94/2023 से सम्बन्धित वाहन संख्या UP81CT 1983 के स्वामित्व के सम्बन्ध में जांच मुझ उ० नि० द्वारा की गयी पूर्व विवेचक द्वारा किता की गयी केस डायरी का अवलोकन किया गया तो पाया की उपरोक्त वाहन विजयपाल पुत्र महीपाल, निवासी- मउपुर भाउपुर, थाना पालीमुकीमपुर जिला अलीगढ़ के नाम पर पंजीकृत है जिसको वाहन स्वामी विजयपाल उपरोक्त के द्वारा दिनांक 23.10.2019 को एक लाख साठ हजार नगद व उक्त गाड़ी के फाइनेंस की किस्त कुल पांच लाख तीस हजार रुपये कुल 690000/- रुपये में मनोज कुमार उर्फ भूरे पुत्र अजब सिंह निवासी- ग्राम आधा खेड़ा थाना दादों जिला अलीगढ़ को बेचा था लेकिन वाहन स्वामी द्वारा उपरोक्त वाहन को मनोज कुमार उर्फ भूरे उपरोक्त के नाम पर आर.सी. ट्रान्सफर नहीं करायी गयी थी तथा दिनांक 06.02.2023 को वाहन स्वामी विजयपाल उपरोक्त ने वाहन खरीददार मनोज उपरोक्त को

तालानगरी बुलाकर धोखे से गाड़ी वहां से अपने साथियों की मदद से गाड़ी लेकर भाग गये थे जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मनोज उपरोक्त की लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें दिनांक 12.08.2023 को आरोप पत्र संख्या 311/2023 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी विजयपाल उपरोक्त द्वारा अपने वाहन संख्या UP81CT 1983 को विपक्षी को बेचा गया था लेकिन बेईमानी की नीयत से उपरोक्त वाहन को खरीददार मनोज कुमार उर्फ भूरे उपरोक्त के नाम आर.सी. ट्रान्सफर नहीं करायी गयी थी जिस कारण पूर्व विवेचक द्वारा उपरोक्त वाहन की आर.सी. को लॉक कराया गया था।"

4) अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 27.08.2024 में यह उल्लिखित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा जिस वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र को अनलॉक कराने की याचना की गयी है उसी संबंध में कथित वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र वादी के पक्ष में स्थानान्तरित न करने के कारण उक्त प्रकरण में आरोपित अभियुक्त है जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 25.10.2023 को प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यदि कथित वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र को अनलाक किये जाने का आदेश किया जाता है तो निश्चित रूप से प्रस्तुत प्रकरण में जांच/विचारण प्रभावित होगा। अतः निगरानीकर्ता द्वारा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या- UP81CT 1983 मैक्स पिकप के आर0सी0 को अनलाक कराने हेतु प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

5) निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी में मुख्य रुप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.09.2019 को वाहन मैक्स पिकप संख्या UP81CT 1983 को महिन्द्रा फाईनेन्स, जी0टी0 रोड अलीगढ़ से फाइनेन्स कराके क्रय किया था और उक्त गाड़ी को परमदुग्ध उत्पादक डेरी में भाड़े पर लगाया था जिस पर विपक्षी संख्या-02 मनोज कुमार को चालक के रुप में रखा था। निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 24.01.2023 को महिन्द्रा फाइनेन्स का ऋण चुका कर एन0ओ0सी0 प्राप्त की गयी। दिनांक 20.12.2022 विपक्षी संख्या-02 मनोज कुमार ने डेरी से निगरानीकर्ता के भाड़े का पेमेन्ट उठा लिया निगरानीकर्ता द्वारा पूछताछ किये जाने पर आमादा

फसाद हो गया जिसकी शिकायत निगरानीकर्ता द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तो दोनों पक्षों का चालान धारा- 151/107/106 सी0 आर 0 पी0 सी में कर दिया गया। विपक्षी संख्या 02 मनोज कुमार गाड़ी को चुराकर ले गया और फर्जी स्टाम्प पर गाड़ी को बेचने के सम्बन्ध में फर्जी स्टाम्प पेपर पर लिखा लिया जिसको लेकर मनोज कुमार से झगड़ा हो गया और निगरानीकर्ता ने अपनी गाड़ी दिनांक 06.02.2023 विपक्षी संख्या 02 मनोज कुमार से ले ली तथा अपने घर ले जाकर खड़ी कर दी और मनोज कुमार को चालक के पद से हटा दिया। विपक्षी संख्या 02 मनोज कुमार ने एक महीने बाद पुलिस से सांठ-गांठ करके दिनांक 03.03.2023 को थाना हरदुआगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 94/2023, अं0 धारा 420/406/120 बी भा0 दं0 सं0 में दर्ज करा दिया तथा जिसमें आरोप पत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें निगरानीकर्ता जमानत पर है। निगरानीकर्ता मैक्स पिकप संख्या UP81CT 1983 का पंजीकृत स्वामी है तथा उपरोक्त वाहन प्रार्थी के घर पर ही खड़ा है तथा सारे मालिकाना हक प्रार्थी के पास है लेकिन उक्त मुकदमा की विवेचना के दौरान चालक मनोज कुमार से विवेचक से सांठ गांठ करके उक्त गाड़ी के पंजीयन प्रमाण पत्र को लॉक करा दिया है। निगरानीकर्ता ने दिनांक 29.06.2024 को अवर न्यायालय जे.एम. द्वितीय में उक्त वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र को अनलॉक कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जो कि दिनांक 27.08.2024 को खारिज कर दिया गया। अतः निगरानीकर्ता द्वारा याचना की गयी कि आदेश दिनांक 27.08.2024 को अपास्त कर प्रस्तुत आपराधिक निगरानी स्वीकार की जावे।

6) विपक्षी संख्या 02 मनोज कुमार पर रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 11.05.2026 को तामीला पर्याप्त मानी गयी है, पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी विपक्षी संख्या 02 न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त निगरानी में कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं की गयी है।

7) मेरे द्वारा निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा आलोच्य आदेश एवं अवर न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8) प्रस्तुत प्रकरण में अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या-02/वादी मनोज कुमार द्वारा मु0 अ 0 सं0 94/2023, अं0

धारा 420/406/120 बी भा0 दं0 सं0, थाना हरदुआगंज में यह कथन किया है कि गाड़ी मैक्स ट्रक प्लस नंबर यूपी 81 सीटी 1983 विजयपाल से दिनांक 23.10.2019 को एक लाख साठ हजार नगद व गाड़ी के फाइनेन्स की किस्त कुल पांच लाख तीस हजार रुपये कुल 06 लाख 90 हजार में खरीदी थी। विपक्षी संख्या 02 मनोज कुमार ने निगरानीकर्ता विजयपाल से उक्त गाड़ी अपने नाम करने को कहा लेकिन विजयपाल टाल मटोल करता रहा। विपक्षी संख्या -02 मनोज कुमार ने दिनांक 02.01.2023 को थाना पालीमुकीमपुर पर शिकायत की तो गांव के लोगों ने आपस में समझौता करा दिया। दिनांक 06.02.2023 को विजयपाल ने मनोज कुमार से कहा कि तुम तालानगरी पर गाड़ी लेकर आ जाओ तब गाड़ी को तुम्हारे नाम स्थानान्तरण कराऊंगा और जब मनोज कुमार 12.30 बजे दोपहर को वंहा पहुंचा तो विजयपाल व अन्य लोगों ने गाड़ी में रखे 42 हजार रुपये, गाड़ी की आर0 सी0, सेल लेटर व 100 रुपये के स्टाम्प पर बिक्री पत्र जिस पर विजयपाल से हस्ताक्षर हैं व गाड़ी को लेकर भाग गये।

9) इस प्रकार विपक्षी संख्या 02 मनोज कुमार द्वारा तहरीर में स्वीकार किया गया है कि गाड़ी का स्वामी निगरानीकर्ता विजयपाल है और गाड़ी की आर0 सी0 तहरीर लिखाये जाने तक निगरानीकर्ता के नाम पर रही है। उक्त गाड़ी को ले जाने व विक्रय के संबंध में विपक्षी संख्या-2 मनोज कुमार के पक्ष में विजयपाल द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पर लिखे गये पत्र की छायाप्रति केस डायरी के साथ संलग्न की गयी है। इसके अतिरिक्त केस डायरी के साथ ऐसा कोई प्रपत्र संलग्न नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि वाहन स्वामी विजयपाल द्वारा कोई अभिलेख स्वतन्त्र रुप से गाड़ी के विक्रय के सम्बन्ध में विपक्षी संख्या 02 मनोज कुमार के पक्ष में निष्पादित किया है।

10) वाहन के रजिस्ट्रेशन व अंतरण के सम्बन्ध में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 41 व 50 में यह उपबंधित किया गया है कि-

41. रजिस्ट्रीकरण कैसे होना है. *(1) मोटरयान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्रारूप के होगा और उसमें ऐसे दस्तावेजें, विशिष्टियाँ और जानकारी दी हुई होंगी और ऐसी कालावधि के भीतर किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएँ :*

परन्तु जहाँ मोटरयान संयुक्त रूप से एक से अधिक व्यक्तियों के स्वामित्वाधीन है, वहाँ आवेदन सभी स्वामियों की ओर से एक स्वामी द्वारा किया जाएगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवेदक को ऐसे मोटरयान का स्वामी समझा जाएगा।....

50. स्वामित्व का अंतरण *(1) जब इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी मोटरयान क स्वामित्व अन्तरित किया जाता है तब-*

(क) अतंरक. *(1) उसी राज्य के भीतर रजिस्ट्रीकृत यान की दशा में, अंतरण के चौदह दिन के भीतर अंतरण के तथ्य की रिपोर्ट उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप में और ऐसे दस्तावेजों सहित जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएँ, देगा जिसकी अधिकारिता के भीतर वह अंतरण किया जाने वाला है और उसी समय उस उक्त रिपोर्ट की एक प्रति अन्तरिती को भेजेगा, और....*

(ख) *अंतरिती उस अंतरण की रिपोर्ट अंतरण के तीस दिन के अन्दर उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर उसका निवास स्थान 'या कारबार का स्थान है जहाँ यान सामान्यतया रखा जाता है और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र विहित फीस तथा अंतरक से प्राप्त उस रिपोर्ट की एक प्रति के साथ रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा जिससे स्वामित्व के अंतरण की विशिष्टियाँ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में दर्ज की जा सके।*

11) प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षी संख्या-02 मनोज कुमार द्वारा धारा 50 ख में उपबंधित प्रावधान के अनुपालन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

12) यह उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 20.12.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ को आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या 40014322039231 विपक्षी संख्या-02 मनोज कुमार के विरुद्ध शिकायत की गयी है जिसके सम्बन्ध में जांच अधिकारी थानाध्यक्ष थाना पालीमुकीमपुर द्वारा जांच करके यह निष्कर्ष दिया गया है कि "*उक्त आई0जी0आर0एस0 की जांच मुझ उ0नि0 द्वारा की गयी तो आवेदक विजयपाल सिंह ने अपनी गाड़ी पिकप संख्या UP81CT 1983 पर विपक्षी मनोज कुमार उपरोक्त को*

चालक के रुप में रखा था जिसमें आवेदक व विपक्षी में गाड़ी के हिसाब के लेन देन को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया था। जिसमें दोनों पक्षों को दिनांक 17.12.2022 को गिरफ्तार कर धारा 151/107/116 दं0 प्र0 सं0 में जी.डी. संख्या 37 पर चालान किया गया था।" जिससे स्पष्ट है कि मनोज कुमार विजयपाल सिंह की पिकप गाड़ी पर चालक के रुप में रहा है और दोनों के मध्य हिसाब के लेन-देन को लेकर झगड़ा हुआ था जिसके परिणामस्वरुप दोनों पक्ष दिनांक 17.12.2022 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये हैं।

13) विजयपाल निगरानीकर्ता द्वारा महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा फाइनेन्स लिमिटेड से प्राप्त एन.ओ.सी. दिनांकित 24.01.2023 की छायाप्रति कागज संख्या 18 के रुप में पत्रावली पर संलग्न की है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि "*Mr. Vijay Pal Singh/ Mahindra Bolero Maxitruck Plus 1.2 T BS4 has been financed under the above mentioned Hire Purchase/Lease/Loan Agreement with us. We hereby confirm that wer have "NO OBJECTION" In removing the HP/Lease Hypothecation clause from the Registration Certificate/Insurance Policy. Please note this NOC is valid for the above asset only*." इस प्रकार यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 24.01.2023 को निगरानीकर्ता विजयपाल के पक्ष में महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा फाइनेन्सियल सर्विस लिमिटेड द्वारा एन.ओ.सी. जारी की गयी है।

14) मेरे विचार से विजयपाल के पक्ष में दिनांक 20.12.2022 को थाना-प्रभारी पालीमुकीमपुर जनपद अलीगढ़ के उप-निरीक्षक विजय चाहर द्वारा दी गयी आख्या उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए एवं निगरानीकर्ता के पक्ष में जारी आर0सी0 व एन.ओ0सी0 एम०वी० एक्ट की धारा 50 ख में उल्लिखित प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए, अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त करके विधिक रूप से त्रुटि कारित की है। अतः अवर न्यायालय को पुनः विधिनुसार प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करके इस न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष को दृष्टिगत रखते हुए पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत है। उक्त परिस्थिति में आलोच्य आदेश दिनांकित 27.08.2024 अपास्त किये जाने योग्य है तथा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या-498/2025 स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 27.08.2024 अपास्त किया जाता है। अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि, वह इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में दिये गये निष्कर्षों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः सुनवाई उपरान्त विधिसम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करे।

अवर न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की प्रति सहित अवर न्यायालय को वापस प्रेषित की जाये।

दिनांक–20.07.2026

(पंकज कुमार अग्रवाल)
सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–20.07.2026

(पंकज कुमार अग्रवाल)
सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़।

टाइपकर्ता– ऋषभ सिंह (आशुलिपिक)

Digitally signed by PANKAJ KUMAR AGRAWAL
Date: 2026.07.30 15:17:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court